

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/P/24/00181

दिनांक. 28.05.2024

सेवा में,

श्री उमाशंकर मौर्य

विषय: - सूचना आधकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

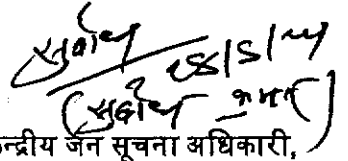
महोदय/महोदया,

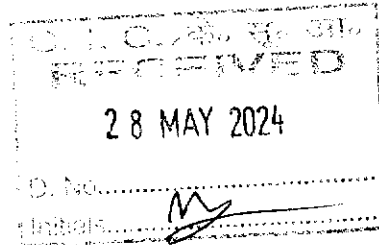
उक्त विषयक आपका दिनांक 03.05.2024 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 06.05.2024 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

आपको यह अवगत कराया जाता है कि आपका पत्रांक दिनांक 28.11.2023 केन्द्रीय सूचना आयोग के RTI आवेदन सं CICOM/R/P/23/00682 पंजीकृत किया गया था जिसको श्री एस के रब्बानी, उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2024 को जवाब दे दिया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्रीमती रूप अवतार कौर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि।


(सचिव जन सूचना आयोग)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष - 011-26172690



केंद्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग
मुनिरका, नई दिल्ली -110067

न. 3/2/20218/GA/CIC

दिनांक : 23.01.2024

उमाशंकर मौर्य
गाँव - बाबु सराय, पोस्ट - महाराजगंज
भदोही, उत्तरप्रदेश - २२१३१४

विषय - सूचना के अधिकार के अधिनियम ६(१) के अंतर्गत जवाब हेतु,

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन संख्या CICOM/R/P/23/00682 आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से प्रश्न संख्या 3. का वांछित जवाब यह है :-

केंद्रीय सूचना आयोग में कार्यरत आयुक्त, अधिकारी एवं कर्मचारी को भारत संचित निधि (कोष) से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वेतन एवं बजट का भुगतान किया जाता है जिसका पता निम्नलिखित है -

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
J674+VJW, नार्थ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली -110001.

यदि आप उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं है तो इसके खिलाफ प्रथम अपील ३० दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को उपरोक्त पते पर की जा सकती है।



(एस के रब्बानी)

उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति, : जन सूचना अधिकारी, RTI CELL, CIC

 23/01/24

